



क्षेत्रीय कार्यालय, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
Regional Office, Uttar Pradesh Pollution Control Board
भवन सं०-3/5 बी, सेक्टर-3, सुहागनगर, फिरोजाबाद।

संदर्भ संख्या: 280/पेट्रोल पम्प/2021

दिनांक: 05/08/2021

सेवामें,

अपर जिला मजिस्ट्रेट (वि०/रा०),
जनपद-फिरोजाबाद।

विषय: न्यू रिटेल आउटलेट ग्राम-नगला मुरली, मौजा-नगला सिकन्दर, तहसील-दूण्डला, जिला-फिरोजाबाद के गाटा सं०-396, 397 में पेट्रोल पम्प द्वारा प्रस्तावित एक नये रिटेल आउट लेट की स्थापना हेतु पेट्रोलियम रूल्स, 2002 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने हेतु विभागीय आख्या के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या 296/आरआरके-पेट्रोल सहायक-एन०ओ०सी०-नगला मुरली, दिनांक 26 जुलाई, 2021 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से प्रस्तावित मै० रिलायंस बीपी मोबाइल लिमिटेड (रिटेल आउटलेट), गाटा सं० 396, 397, ग्राम-नगला मुरली, मौजा-नगला सिकन्दर, तहसील-दूण्डला, जिला-फिरोजाबाद पर प्रस्तावित सेवा केन्द्र (रिटेल आउटलेट पेट्रोल पम्प) क्षमता 1 x 30 KL MS एवं 1 x 55 KL HSD पर अनापत्ति प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में इस कार्यालय से आख्या प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया है। उक्त के संदर्भ में अवगत कराना है कि वर्तमान में नये रिटेल आउट पेट्रोल पम्प की स्थापना सम्बन्धी केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड द्वारा मार्गदर्शिका (गाइड लाइन) निर्धारित की गयी है। उक्त के दृष्टिगत प्रस्तावित रिटेल आउटलेट पेट्रोल पम्प द्वारा प्रेषित अभिलेखों, ले-आउटप्लान के परीक्षणोपरान्त प्रस्तावित स्थल पर पेट्रोलपम्प स्थापना हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाते समय निम्नलिखित शर्तों का अधिरोपित करते हुए अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने पर इस कार्यालय को कोई आपत्ति नहीं है :-

1. पेट्रोल पम्प द्वारा अधिकतम 1 x 30 KL MS एवं 1 x 55 KL HSD के भण्डारण हेतु भूमिगत स्टील टैंक की स्थापना की जाये।
2. प्रस्तावित रिटेल आउटलेट पेट्रोल पम्प स्थल की मान्यता प्राप्त विद्यालय, पंजीकृत अस्पताल (10 बेड्स या अधिक) एवं प्राधिकृत आवासीय क्षेत्र से निकटम त्रिज्यक दूरी 50 मी० या अधिक हो।
3. प्रस्तावित रिटेल आउटलेट पेट्रोल पम्प स्थल से दूरी 50 मी० मानक यदि पूर्ण होने में असमर्थता हो तो रिटेल आउटलेट पर अतिरिक्त सुरक्षा उपाय हेतु Petroleum and Explosives safety Organisation (PESO) की गाइडलाइन्स का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। किसी भी परिस्थिति में दूरी का मानक 30 मी० से कम न हो।
4. प्रस्तावित रिटेल आउटलेट स्थल के ऊपर से हाई टेन्शन लाइन न पास किया जाये।
5. प्रस्तावित रिटेल आउटलेट पम्प की Oil Marketing Companies (OMCs) का उत्तरदायित्व है कि भू-गर्भ जल स्तर ऊपर (4 मी० ऊँचा या कम) होने वाले स्थलों में स्थापित पेट्रोल पम्प पर भू-गर्भ एवं मृदा Contamination को कम करने हेतु State/Central ground water board के सुझावों को अपनाकर पर्याप्त सुरक्षा उपाय सुनिश्चित किया जाये।
6. रिटेल आउटलेट पर घटित सभी Major Leakage/Spillage of Petrol Pum, Diesel, Lube oil (1 बैरल से अधिक) की सूचना राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, PESO, एवं प्रशासन को देना अनिवार्य है।
7. प्रस्तावित रिटेल आउटलेट की Oil Marketing Companies (OMCs) से राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड को पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति एवं पर्यावरणीय सुधार हेतु खर्च वसूलने का अधिकार होगा।
8. रिटेल आउटलेट पम्प पर अण्डरग्राउण्ड टैंक से Leakage detection System की व्यवस्था PESO के मानकों के अनुरूप सुनिश्चित की जायेगी।
9. रिटेल आउटलेट पम्प पर अण्डरग्राउण्ड टैंक से निकले गए पेट्रोलियम स्लज (Sludge) का निस्तारण परिसंकटमय अपशिष्ट (प्रबन्धन एवं सीमापार संचालन) नियम, 2016 के अनुरूप किया जायेगा।

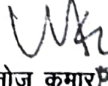
क्रमशः.....2....

10. प्रस्तावित रिटेल आउटलेट पर Vapour recovery system की व्यवस्था केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड द्वारा पेट्रोल पम्प हेतु निर्धारित मार्गदर्शिका के अनुरूप किया जाये।
11. प्रस्तावित रिटेल आउटलेट की Oil Marketing Companies (OMCs) द्वारा प्रत्येक दो वर्षों में निकटतम स्रोतों की भू-गर्भ जल एवं मृदा परीक्षण रिपोर्ट केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड को प्रेषित की जाये।
12. प्रस्तावित रिटेल आउटलेट पर कार्यरत कर्मिकों को Personal Protection Equipment (PPE) श्रम विभाग द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप व्यवस्था सुनिश्चित की जाये।
13. प्रस्तावित स्थल पर पेट्रोल पम्प की स्थापना एवं संचालन का कार्य इस प्रकार किया जाये कि आस-पास की आबादी एवं पर्यावरण पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।
14. पेट्रोलपम्प हेतु प्रस्तावित स्थल के अधिकाधिक भू-भाग पर वृक्षारोपण किया जाये।
15. पेट्रोलियम पदार्थ अत्यधिक ज्वलनशील होने के कारण जान-माल की व्यापक सुरक्षा मद्देनजर दुर्घटना की स्थिति में बचाव हेतु समुचित सुरक्षा उपकरण अग्निशमन विभाग के गाइडलाइन के अनुसार स्थापित किया जाये तथा आस-पास आबादी विकसित होने पर रोक लगायी जाये।
16. घरेलू प्रयोजन से जनित होने वाले वहिस्राव के शुद्धिकरण हेतु समुचित क्षमता का सेप्टिक टैंक एवं सोकपिट की स्थापना किया जाये।
17. पेट्रोल पम्प द्वारा किसी भी दशा में औद्योगिक उत्प्रवाह का निस्तारण न किया जाये।
18. पर्यावरणीय वक्तव्य प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर 03 सितम्बर तक या इसके पूर्व राज्य बोर्ड को प्रेषित किया जाये।
19. पेट्रोल पम्प द्वारा हैजार्डस वेस्ट (मैनेजमेंट एण्ड हैंडलिंग एण्ड ट्रांस बाउण्ड्री मूवमेन्ट्स) नियम 2008 (यथासंशोधित) तथा मैनुफैक्चर, स्टोरेज एण्ड इम्पोर्ट ऑफ हैजार्डस कैमिकल्स नियम, 1989 पब्लिक लाइविलिटी इन्श्योरेन्स एक्ट 1991 एवं पेट्रोलियम रूल्स 2002 में वर्णित प्राविधानों का अक्षरशः अनुपालन किया जाये।
20. प्रस्तावित स्थल के पास अन्य किसी ज्वलनशील पदार्थ भण्डारण सम्बन्धी संस्थान/प्रयोजन को अनुमति न दी जाये।
21. प्रस्तावित स्थल पर स्टार्म वाटर के निस्तारण हेतु पृथक स्टार्म वाटर ड्रेन बनायी जाये।
22. पेट्रोल पम्प पर निर्मित होने वाले बिल्डिंग के उत्तम बिन्दु पर विन्ड इण्डीकेटर लगाया जाये।
23. विद्युत बाधित होने की स्थिति में कंटेन्टिव पॉवर जनरेशन हेतु प्रयुक्त किये जाने वाले जनरेटर सेट में केनोपी युक्त एवं ईंधन के रूप में गैस का प्रयोग किया जाना अनिवार्य है।
24. पेट्रोल पम्प द्वारा प्रस्तावित स्थल पर भू-प्रयोग सक्षम अधिकारी के स्तर से औद्योगिक में परिवर्तित कराकर प्रमाण पत्र राज्य बोर्ड को 03 माह के अन्दर प्रेषित किया जाये।
25. पेट्रोल पम्प द्वारा सभी सम्बन्धित विभाग के सक्षम अधिकारी के स्तर से औद्योगिक ऑन साइट डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान अनुमोदित कराकर 6 माह के अन्दर राज्य बोर्ड को प्रेषित किया जाये।
26. प्रस्तावित स्थल के पास अन्य किसी ज्वलनशील पदार्थ भण्डारण सम्बन्धी संस्थान/प्रयोजन को अनुमति न दी जाये।
27. पेट्रोल पम्प वाहनों की पार्किंग/आवागमन की व्यवस्था इस प्रकार सुनिश्चित किया जाये कि राजमार्ग का सामान यातायात बाधित न हो।

उपरोक्त शर्तों के प्रतिबन्ध के अधीन उक्त प्रस्तावित स्थल स्थापनार्थ हेतु आप द्वारा सशर्त अनुज्ञा प्रदान किया जाना उचित होगा। सूचनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।


TANUJ JINDAL
State Business Development Manager
UP (West) & UT
Reliance BP Mobility Limited

भवदीय,

(मनोज कुमार)
क्षेत्रीय अधिकारी(प्रो)